

5

मंडल कार्यालय आदेश 04/2025

समस्त मुख्य लोको निरीक्षक
एवं मुख्य कू नियंत्रक, जोधपुर एवं मेड़तारोड
समस्त लोकोपायलट, लोकोपायलट शंटर एवम सहायक लोकोपायलट

विषय :- गाड़ी संचालन के दौरान स.नि. 6.03, स.नि.6.07(3) की अनुपालना हेतु।

मंडल के सभी मुख्य निरीक्षको को निर्देश दिये जाते हैं कि अपने नामित व अन्य सभी रनिंग स्टाफ को निम्न मर्दों पर काउंसलिंग करे तथा 06/02/25 को अनुपालना रिपोर्ट मंडल कार्यालय में जमा कराये।

स.नि. 6.03 -यदि किसी दुर्घटना, खराबी, अवरोध या किसी अन्य असाधारण कारण से कोई गाड़ी स्टेशनों के बीच खड़ी हो जाती है और ड्राइवर को लगता है कि गाड़ी आगे नहीं जा सकती है तो वह विहित कोड में सीटी बजाकर या वॉकी टॉकी के माध्यम से अथवा अन्य साधनों द्वारा गार्ड को इस बात से अवगत कराएगा और उससे हैंड डेंजर सिगनलों का आदान-प्रदान करेगा। ड्राइवर आने वाली गाड़ी को चेतावनी देने के लिए तत्काल अपने रेल इंजन की फ्लैशर लाइट का स्विच ऑन करेगा। तत्पश्चात् गार्ड गाड़ी के पीछे की ओर खतरे का सिगनल दिखायेगा और यह जाँच करेगा कि पिछला बोर्ड (टेल बोर्ड) अथवा पिछली बत्ती (टेल लाइट) ठीक प्रकार से प्रदर्शित की गयी है और यदि ब्रेकवान के पीछे की ओर फ्लैशर लाइट लगायी गयी है तो वह इसका स्विच 'ऑन' करेगा। इसके बाद तत्काल गार्ड और ड्राइवर गाड़ी के पीछे और आगे की ओर बचाव की कार्यवाही करेंगे।

स.नि.6.07(3) यदि लोको पायलट और / या गार्ड, लाइन के नजदीक की ट्रेक पर या उसके नजदीक, जिस पर उसकी गाड़ी गुजर चुकी है, कोई रुकावट या कोई अन्य असुरक्षित स्थिति महसूस करता है तथा जो उसकी राय में सुरक्षित गाड़ी संचालन के लिए हानिकारक है तो वह निम्नलिखित सुधारात्मक कार्यवाही करेगा-

(क) अपने लोको की फ्लैशर लाइट का स्विच तुरन्त ऑन कर देगा।

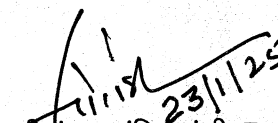
(ख) संबंधित स्टेशन मास्टर्स/नियंत्रक को उपलब्ध संचार साधनों के माध्यम से सूचित करे और साथ साथ

(ग) अपनी गाड़ी को रोक दे और सामान्य नियम 3.62 के अनुसार लाइन का बचाव करने के लिए खतरे के हाथ सिगनलों के साथ आगे बढ़े।

(घ) तत्पश्चात् फ्लैशर लाइट को ऑन रखते हुए सावधानीपूर्वक अगले स्टेशन के लिए यात्रा जारी रखेगा।

(ङ) वॉकी टॉकी या अन्य उपलब्ध संचार साधन के द्वारा सूचित करके तथा खतरे का हाथ सिगनल का प्रदर्शन करके प्रभावित स्थान पर आने वाली गाड़ी को रोकने के लिए तैयार रहे।

(च) अगले स्टेशन पर आने पर वह घटना के बारे में लिखित मिमो के द्वारा स्टेशन मास्टर को सूचित करेगा।


वरी.मंडल यांत्रिक इंजी.(Enhm&P)
उ.प.रेलवे,जोधपुर

प्रतिलिपि – मंडल रेल प्रबन्धक, सादर सूचनार्थ,
वरी.म.संरक्षा अधिकारी, सादर सूचनार्थ
स.म.या.इंजी.(शक्ति), सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु